न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

जशोदाबाई बनाम मुकेश

किस्म मुकदमा धारा - 225 मि.नं. 2022/211 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26-09-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अपील को NOTE PRESS करने हेतु निवेदन किया साथ ही अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदेशिका पर NOTE PRESS अंकित कर स्वयं हस्ताक्षर किये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील NOTE PRESS करने हेतु निवेदन को न्यायहित में स्वीकार कर पत्रावली NOTE PRESS में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	Not press 9 ... 19 धा.र.प्र.अ. 1131 26/9/023 न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा *

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा

जशोदा बाई पत्नी बीरबल आयु41 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बांरा

— अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश आत्मज फूल चन्द आयु 30 वर्ष जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बांरा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बांरा

— रेस्पोडेन्ट

सम्माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के

आदेश दिनांक 12.09.22 की अप्रसन्नता से

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्नलिखित निवेदन करती है:—

1. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है।

2. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्यका अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

3. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोईध्यान नही दिया कि अपीलान्ट ग्राम गन्दोलिया स्थित खसरा नम्बर 84 की आराजी पर काबिज काश्त है तथा रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 85 कीआराजी पर काबिज काश्त है। उक्त सेटलमेन्ट विभाग की नक्शा ट्रेस में गलती की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दुरुस्ती के वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना